सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2024 / 99 दर्ज तिथिः–12.02.2024

1. घमण्डाराम गोदपुत्र रूपाराम
जाति जाट निवासी कूकणों की ढाणियां तहसील नौखडा जिला बाड़मेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत मीठीबेरी जरिये सरपंच
2. मैंनेजर मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा गुढामालानी
3. तहसीलदार नौखडा।

.....प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः– श्री हरीश चौधरी।
प्रत्यर्थीः– अनुपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–75
राज. भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–23.08.2024

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि हाल आराजी खसरा 126 / 120 रकबा 4.7834 वाके ग्राम कूकणों की ढाणियां तहसील गुढामालानी में अवस्थित है। उक्त आराजी अपीलान्ट के पूर्वज गोदपिता रूपाराम पुत्र धूडाराम की कब्जे–काश्त व खातेदारी की आराजी है। रूपाराम पुत्र धूडाराम द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलाण्ट को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 15.07.2002 को गोद ले लिया था। इस हेतु अपीलान्ट के पूर्वज गोदपिता रूपाराम की फौत पश्चात विरासत का इन्तकाल 26 दिनांक 10.01.2024 हल्का पटवारी द्वारा गोदपुत्र अपीलाण्ट घमण्डाराम गोदपुत्र रूपाराम के नाम भरकर उत्तरदाता संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया। परन्तु उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा गलत व विधि विधि विरूद्ध तरीके से उक्त नामान्तरकरण को खारिज

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.25 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested

कर दिया गया। इस प्रकार उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा विधि विरूद्ध खारिज किये गये इन्तकाल संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 को निरस्त कर रूपाराम पुत्र धूडाराम की विरासत का इन्तकाल अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जाने का निवेदन है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामील प्रत्यर्थी उपस्थित न्यायालय नहीं होने के कारण प्रत्यर्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि गलत दर्ज किये गये इन्तकाल संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 को निरस्त कर रूपाराम पुत्र धूडाराम की विरासत का इन्तकाल अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जावें।

3. मैनें अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत–2074–77 वाके ग्राम कूकणों की ढाणियां का खाता संख्या–26 का अवलोकन आवश्यक है। जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

खातेदार	खसरा	रकबा
रूपाराम पुत्र धूडाराम	126 / 120	4.7834 है0

इस प्रकार हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत–2074–77 वाके ग्राम कूकणों की ढाणियां का खाता संख्या–26 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट के गोदपिता रूपाराम पुत्र धूडाराम के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है।

4. इसके साथ ही नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके ग्राम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत मीठीबेरी द्वारा फैसल का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

नामान्तकरण संख्या	आराजी	पूर्व की प्रविष्टी	पश्चात की प्रविष्टी
26 10.01.2024	126 / 120 / 4. 7834 है0	रूपाराम पुत्र धूडाराम हिस्सा–पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदर (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा गुढामालानी	घमण्डाराम दत्तक पुत्र रूपाराम हिस्सा–पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा गुढामालानी

नोटः–

1. ***पटवारी की रिपोर्टः–*** *श्रीमानजी मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र वारिसान के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है– पटवारी*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.25 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 10.01.2024 2. ***ग्राम पंचायत राजस्व अधिकारी की जांच रिपोर्टः—*** *ग्राम पंचायत की मिटिंग में स्वीकृत किया जाता है।* *पंचायत बैठक में उक्त नामा. सर्व सहमती से खारिज किया जाता है— सरपंच दिनांक 20.01.2024*

इस प्रकार नामान्तकरण संख्या—26 दिनांक—10.01.2024 वाके ग्राम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत मीठीबेरी द्वारा फैसल का अवलोकन से ज्ञात होता है कि मृतक रूपाराम पुत्र धूडाराम की विरासत अपीलार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड की गई तथा पंचायत बैठक में उक्त नामा. सर्व सहमति से खारिज किया गया।

5. इस प्रकार अपीलाण्ट के गोदपुत्र के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध उपपंजीयक सिणधरी द्वारा दिनांक 15.07.2002 को बही संख्या 4 विपत्र संख्या 1 पेज संख्या 41 क्रम संख्या 11/2 पर पंजीवद्ध गोदनामा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

दत्तक ग्रहिता पिता	प्राकृतिक माता	गोदपुत्र
रूपाराम वल्द धूडाराम उम्र 59 वर्ष कौम जाट साकिन मीठीबेरी	गेनीदेवी पत्नी स्व. नेनाराम उम्र 65 वर्ष कौम जाट साकिन मीठीबेरी	घमण्डाराम पुत्र नेनाराम उम्र 38 वर्ष कौम जाट साकिन मीठीबेरी

इस प्रकार उपपंजीयक सिणधरी द्वारा दिनांक 15.07.2002 को बही संख्या 4 विपत्र संख्या 1 पेज संख्या 41 क्रम संख्या 11/2 पर पंजीवद्ध गोदनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वैद्य गोदपुत्र है।

6. सर्वप्रथम प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के तहत खातेदारी अधिकारों के वारिसों में निहित होने के सम्बन्ध में विश्लेषण आवश्यक है। किसी खातेदार कृषक की आराजी की विरासत के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 तहत प्रावधान बनाये गये है। चूंकि प्रकरण में खातेदार कृषक की आराजी की विरासत के संबंध में प्रश्न पर विश्लेषण किया जाना है। अतः इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> ***40. Succession to tenants****— When a tenant dies intestate, his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he was subject at the time of his death.*

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 का प्रकरण में अवलोकन से ज्ञात होता है कि बिना वसीयत किये किसी खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उस खातेदार का मृत्यु के समय उस खातेदार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार विरासत दर्ज किये

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.25 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested

जाने के प्रावधान बनाये गये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 के अनुसार मृतक रूपाराम वल्द धूडाराम कौम जाट के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार हिन्दू होने के कारण रूपाराम वल्द धूडाराम कौम जाट की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 द्वारा निर्धारित वारिसों के दर्ज होना कानूनन आवश्यक है। प्रकरण में अपीलाण्ट का कथन है कि उपपंजीयक सिणधरी द्वारा दिनांक 15.07.2002 को बही संख्या 4 विपत्र संख्या 1 पेज संख्या 41 क्रम संख्या 11/2 पर पंजीवद्ध गोदनामा के अनुसार अपीलार्थी वैद्य गोदपुत्र है। इस संबंध में हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम–1956 की धारा–16 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> **16. Presumption as to registered documents relating to adoption.—**
> *Whenever any document registered under any law for the time being in force is produced before any court purporting to record an adoption made and is signed by the person giving and the person taking the child in adoption, the court shall presume that the adoption has been made in compliance with the provisions of this Act unless and until it is disproved.*

8. हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम–1956 की धारा–16 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी माता–पिता द्वारा किसी व्यक्ति को गोद लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत दस्तावेज को किसी न्यायालय द्वारा अवैध/निरस्त घोषित किये जाने तक वैद्य करार/मान्य किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैं। प्रकरण में मृतक रूपाराम वल्द धूडाराम कौम जाट तथा रूपाराम की पत्नी ने अपीलार्थी को जरिये पंजीवद्ध दस्तावेज द्वारा गोद ग्रहण किया है। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त पंजीवद्ध दस्तावेज को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने का कोई प्रमाण वक्त नामान्तरण फैसल तथा वर्तमान पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में मृतक रूपाराम वल्द धूडाराम कौम जाट तथा रूपाराम की पत्नी ने अपीलार्थी को जरिये पंजीवद्ध दस्तावेज द्वारा गोद ग्रहण को हाजा न्यायालय द्वारा वैद्य माना जाना उचित प्रतीत होता है।

9. साथ ही इस संबंध में हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम–1956 की धारा–12 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> ***12.Effects of adoption.—***
> *An adopted child shall be deemed to be the child of his or her adoptive father or mother for all purposes with effect from the date of the adoption and from such date all the ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be severed and replaced by those created by the adoption in the adoptive family:*
> *Provided that—*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.25 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested

(a) the child cannot marry any person whom he or she could not have married if he or she had continued in the family of his or her birth;
(b) any property which vested in the adopted child before the adoption shall continue to vest in such person subject to the obligations, if any, attaching to the ownership of such property, including the obligation to maintain relatives in the family of his or her birth;
(c) the adopted child shall not divest any person of any estate which vested in him or her before the adoption.

10. हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम–1956 की धारा–12 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम–1956 के तहत लिये गये गोद सन्तान के अधिकार जैविक सन्तान के समान ही होने के प्रावधान बनाये गये हैं। प्रकरण में मृतक रूपाराम वल्द धूडाराम कौम जाट तथा रूपाराम की पत्नी ने अपीलार्थी को जरिये पंजीवद्ध दस्तावेज द्वारा गोद ग्रहण किया है। अतः अपीलार्थी के गोदपिता की सम्पत्ति में जैविक पुत्र के समान हित व अधिकार निहित हैं।

11. प्रकरण में अपीलार्थी के गोदपिता की सम्पत्ति में जैविक पुत्र के समान हित व अधिकार निहित होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 के अनुसार मृतक रूपाराम वल्द धूडाराम कौम जाट के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार हिन्दू होने के कारण रूपाराम वल्द धूडाराम कौम जाट की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 द्वारा निर्धारित वारिसों के दर्ज होना कानूनन आवश्यक है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

8. General rules of succession in the case of males.— *The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provisions of this Chapter:—*
(a) firstly, upon the heirs, being the relatives specified in class I of the Schedule;
(b) secondly, if there is no heir of class I, then upon the heirs, being the relatives specified in class II of the Schedule;
(c) thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon the agnates of the deceased; and
(d) lastly, if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased.

12. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत हिन्दू

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.25 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested

उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–8 के अनुसार सर्वप्रथम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–1 के अनुसार दर्ज किये जाने के प्रावधान है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग के अन्तर्गत वारिसों के मध्य संपत्ति की विरासत के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 के तहत प्रावधान बनाये गये है। प्रकरण में अपीलार्थी हिन्दू मृतक के वारिस अभिकथित किये जाने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> ***9. Order of succession among heirs in the Schedule.—*** *Among the heirs specified in the Schedule, those in class I shall take simultaneously and to the exclusion of all other heirs; those in the first entry in class II shall be preferred to those in the second entry; those in the second entry shall be preferred to those in the third entry; and so on in succession.*
>
> ***10. Distribution of property among heirs in class I of the Schedule.*** *—The property of an intestate shall be divided among the heirs in class I of the Schedule in accordance with the following rules: —*
> *Rule 1.—The intestate's widow, or if there are more widows than one, all the widows together, shall take one share.*
> *Rule 2.—The surviving sons and daughters and the mother of the intestate shall each take one share.*
> *Rule 3.—The heirs in the branch of each pre-deceased son or each pre-deceased daughter of the intestate shall take between them one share.*
> *Rule 4.—The distribution of the share referred to in Rule 3—*
> *(i) among the heirs in the branch of the pre-deceased son shall be so made that his widow (or widows together) and the surviving sons and daughters get equal portions; and the branch of his pre-deceased sons gets the same portion;*
> *(ii) among the heirs in the branch of the pre-deceased daughter shall be so made that the surviving sons and daughters get equal portions.*

13. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 तथा धारा–10 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिस एक साथ समान भाग प्राप्त करते है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.25 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested

अगर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिस उपलब्ध नहीं होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–02 के वारिसों में सर्वप्रथम प्रथम प्रविष्टि के वारिसों के नाम विरासत दर्ज करने के प्रावधान है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन के सामान्य नियम व निर्देश दिये गये है।

14. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

THE SCHEDULE (See section 8)
HEIRS IN CLASS I AND CLASS II

Class I

Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a pre-deceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a pre-deceased son of a pre-deceased son [son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased son].

15. प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के विभाजन हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची का प्रकरण में अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष के बिना वसीयत फौत हो जाने पर संपत्ति की विरासत में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों में मृतक हिन्दू पुरूष के असल पुत्र, पुत्रीयों, पत्नी तथा माता को भी एक समान भाग प्राप्त होने के प्रावधान है। प्रकरण में अपीलार्थी हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम–1956 के तहत मृतक रूपाराम वल्द धूडाराम कौम जाट तथा रूपाराम की पत्नी ने अपीलार्थी को जरिये पंजीवद्ध दस्तावेज द्वारा गोद ग्रहण किया है। अतः अपीलार्थी के गोदपिता की सम्पत्ति में जैविक पुत्र के समान हित व अधिकार निहित हैं।

16. प्रकरण में मृतक हिन्दू पुरूष रूपाराम वल्द धूडाराम कौम जाट की विरासत हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम–1956 के तहत अपीलार्थी के गोदपिता की सम्पत्ति में जैविक पुत्र के समान हित व अधिकार निहित होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के एक जायज वारिस अपीलार्थी के नाम विरासत का नामान्तरण दर्ज होना कानूनन उचित प्रतीत होता है। वारिसों को जरिये

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.25 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल द्वारा अस्वीकार कर फैसल कर दर्ज की गई है।

17. प्रमरण में हाजा न्यायालय के पत्रांक / कोर्ट / 2024 / 1406 दिनांक 21.08.2024 द्वारा रूपाराम वल्द धूडाराम कौम जाट निवासी कूकणों की ढाणी तहसील नोखड़ा की विरासत की जांच तहसीलदार नोखड़ा से चाही गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1491 दिनांक 23.08.2024 द्वारा उक्त जांच प्रेषित की गई। उक्त जांच के अवलोकन से स्पष्ट है कि रूपाराम पुत्र धूड़ाराम कौम जाट निवासी कूकणों की ढाणी तहसील नोखड़ा लावल्द फौत हुआ। मृतक रूपाराम पुत्र धूड़ाराम कौम जाट निवासी कूकणों की ढाणी तहसील नोखड़ा के उक्त गोदपुत्र के अलावा अन्य वारिस नहीं हैं। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल द्वारा फैसल कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 तथा हिन्दू दत्तक अधिनियम–1956 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल द्वारा अस्वीकार कर फैसल कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 का भी उल्लघंन किया गया है।

18. इसके साथ ही नामान्तकरण दर्ज करने के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–121 के उपनियम–04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया व प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

121. **General instructions.-**

(iv) The Revenue Officer (The Tehsildar, the Naib-Tehsildar or an Assistant Collector) or the village Panchayats to which the powers under Section 135 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 have been delegated, as the case may be should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter. He should see that entries in the mutation sheet at his orders thereon are neatly and legibly written. The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent, the way in which his evidence was obtained or it was not obtained, what opportunity was given to him to present, who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written. In mutations of alienation of land the caste and sub-caste of the party should be named in the order. No detailed record of the statements of parties

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.25 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested

and witnesses need be made but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer, the facts which they deposed and the grounds of the order. Except where the mutation order relates to an entire holding and in case of undisputed inheritance. the Revenue Officer must enter in his own hand the number of the fields affected and their total area.

(v) The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order giving the number of the fields affected and their total area thus "Dakhil Kharij Numberan Fallan Raqba Fallan Manzor Hai" No recital of the facts on which the order is based should be entered in the counterfoil.

19. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–121 के उपनियम–04 तथा 05 के अनुसार नामान्तकरण निर्णित करते समय पीठासीन अधिकारी को निम्न प्रकिया का अनुसरण करने के प्रावधान बनाये गये हैंः–

प्रकिया	प्रावधान
1	*The Revenue Officer or the village Panchayats should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter.*
2	*The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent,*
3	*the way in which his evidence was obtained or it was not obtained,*
4	*what opportunity was given to him to present,*
5	*who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written.*
6	*but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer,*
7	*the facts which they deposed and the grounds of the order.*
8	*The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order.*

20. प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–121 के उपनियम–04 तथा 05 के अनुसार नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल द्वारा निर्णित करते समय पीठासीन अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के उक्त प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। उक्त विश्लेषण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.25 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रक्रिया	विश्लेषण
The Revenue Officer or the village Panchayats should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter.	नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना की गई है।
The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent,	नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों के विवरण तथा उनकी उपस्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
the way in which his evidence was obtained or it was not obtained,	नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों से प्राप्त साक्ष्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
what opportunity was given to him to present,	नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों को प्रदान किये गये सुनवाई / उपस्थिति के अवसरों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written.	नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों की उपस्थिति की परिस्थिति में पक्षकारों की पहचान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer,	नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल के अवलोकन से ज्ञात होता है

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.25 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested

	कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों / व्यक्तियों से फैसलकर्ता अधिकारी द्वारा की गई जांच / जिरह के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
the facts which they deposed and the grounds of the order.	नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में फैसलकर्ता अधिकारी द्वारा निर्णय के तथ्यों / आधारों के बारे में कोई उल्लेख / जिक्र नहीं किया है। *इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order.	नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण की पुष्ट पर जारी आदेश में फैसलकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के ऑपरेटिव भाग के संक्षिप्त विवरण के बारे में कोई उल्लेख / जिक्र नहीं किया है। *इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*

21. इस प्रकार प्रकरण में नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल के उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां को फैसल करते समय ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–121 के उपनियम–04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन किया गया है।

22. इस प्रकार प्रकरण में उक्त नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल द्वारा फैसल कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 तथा हिन्दू दत्तक अधिनियम–1956 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल द्वारा अस्वीकार कर फैसल कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 का भी उल्लघंन किया गया है। साथ ही नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां को फैसल करते समय ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–121 के उपनियम–04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.25 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested

23. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1491 दिनांक 23.08.2024 द्वारा उक्त जांच प्रेषित की गई। उक्त जांच के अवलोकन से स्पष्ट है कि रूपाराम पुत्र धूड़ाराम कौम जाट निवासी कूकणों की ढाणी तहसील नोखड़ा लावल्द फौत हुआ। मृतक रूपाराम पुत्र धूड़ाराम कौम जाट निवासी कूकणों की ढाणी तहसील नोखड़ा के उक्त गोदपुत्र के अलावा अन्य वारिस नहीं हैं। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल की कार्यवाही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 के प्रावधानों के विपरीत तथा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–121 के उपनियम–04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन कर स्वीकृत किये जाने के कारण निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल की कार्यवाही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 के प्रावधानों के विपरीत तथा तथा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–121 के उपनियम–04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन कर स्वीकृत किये जाने के कारण अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

अपीलार्थी की अपील बाबत् नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल की कार्यवाही निरस्त करवाने हेतु, नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल की कार्यवाही से हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम–1956 के साथ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 के प्रावधानों के उल्लघंन होने तथा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–121 के उपनियम–04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन कर स्वीकृत किये जाने के कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या–26 दिनांक–10.01.2024 वाके गाम कूकणों की ढाणियां पर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल के निर्णय दिनांक 20.01.2024 को निरस्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार नौखडा को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में वर्णित खातेदारी आराजी के मृतक खातेदार रूपाराम पुत्र धूडाराम जाति जाट निवासी कूकणों की ढाणियां तहसील नौखडा की विरासत का नामान्तकरण पंजीकृत गोदनामा दिनांक 15.07.2002 के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–121 के उपनियम–04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण करते हुए दर्ज करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.25 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 23.08.2024 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.25 17:24:50 IST
Reason: SelfAttested